

UPBN040275782022



न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

अन्तिम रिपोर्ट संख्या-424/2022

सविता

बनाम

अज्ञात

मु०अ०सं०-31/2022

धारा-279, 338, 304-A भा०दं०सं०

थाना-बिनावर जनपद बदायूँ।

31.07.2025

पत्रावली पेश हुई। बार बार पुकार पर वादिनी सविता उपस्थित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने से विदित है कि वादिनी सविता की ओर से थाने पर दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मु०अ०सं०-31/2022 धारा-279, 338, 304-A भा०दं०सं० थाना-बिनावर जनपद बदायूँ में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। बाद विवेचना उक्त मामले के विवेचक उप निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में अन्तिम आख्या दाखिल की गयी है।

आपत्ति हेतु वादिनी को नोटिस जारी किया गया। वादिनी पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है। परन्तु वादिनी द्वारा विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी की उक्त मामले में कोई रुचि नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक की ओर से प्रस्तुत की गयी अन्तिम आख्यास्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

तदनुसार एफ० आर० सं०-424/2022 मु०अ०सं०-31/2022 धारा-279, 338, 304-A भा०दं०सं० थाना-बिनावर जनपद बदायूँ स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कोमल श्रीवास्तवा)

प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०)/

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बदायूँ